उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 3 | अंक 3 | 1-15 जुलाई 2019 | ₹ 20/-

देश में हिंसा भड़काने के खतरनाक मंसूबे

- टीवी चैनलों पर जाने वाले इमामों के खिलाफ कार्रवाई
- राजा दाहिर को पाकिस्तान का नायक घोषित करने की मांग
- सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तानी हाजियों को विशेष सुविधा
- मुस्लिम छात्रों को इस्लाम सिखाने का अभियान

भारत नीति प्रतिष्ठान के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

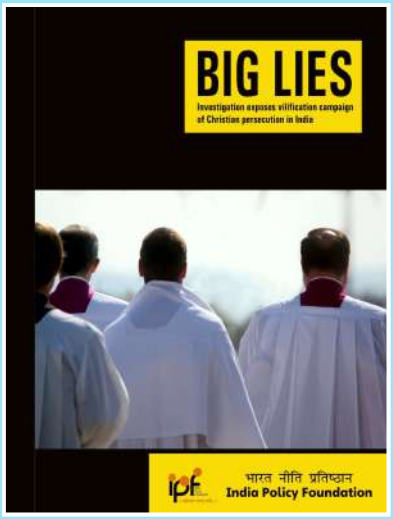

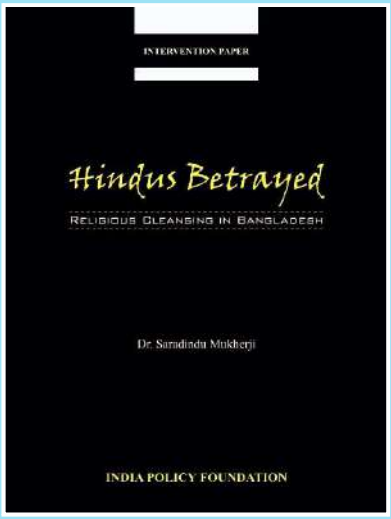

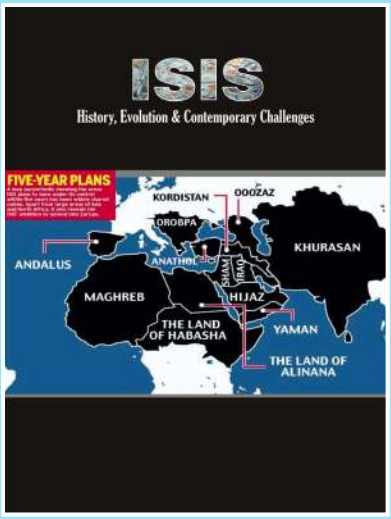

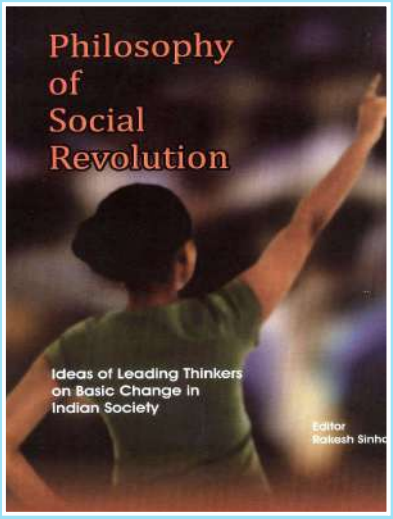

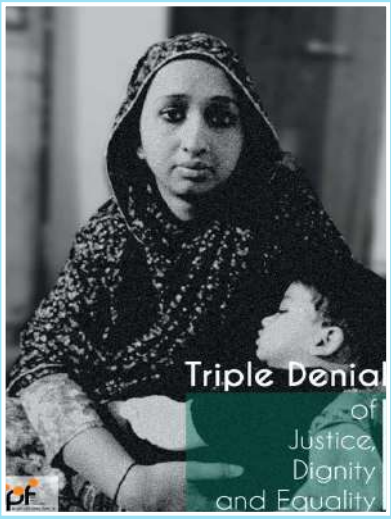

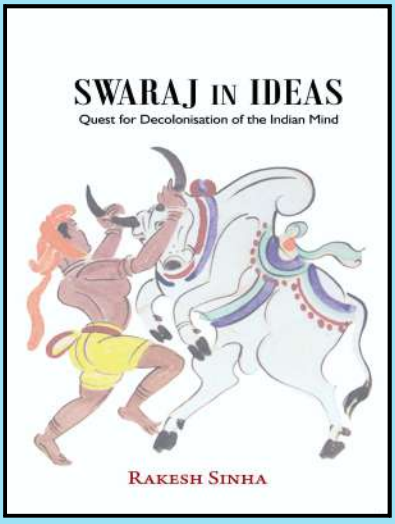

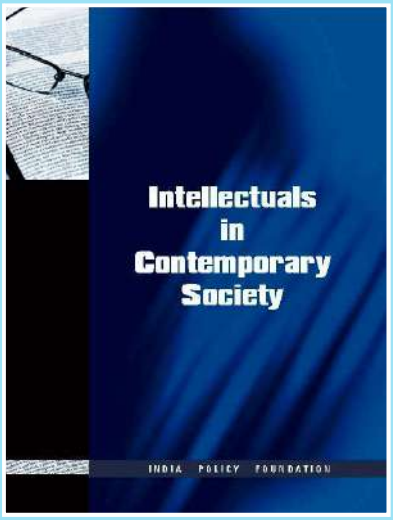

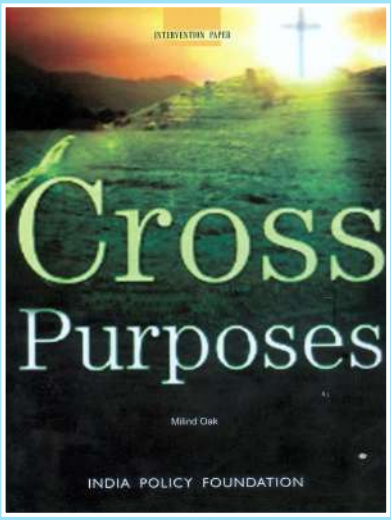

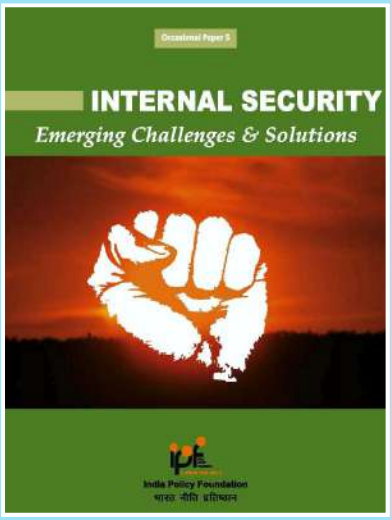

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष - 3 अंक - 3 1-15 जुलाई 2019

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा *

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

प्रसार
सुधीर कुमार सिंह
(9810821308, 011-26524018)

आवरण एवं सज्जा
सूरज भारद्वाज

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास,
नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.indiapolicyfoundation.org

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए, डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 2

राष्ट्रीय

देश में हिंसा भड़काने के खतरनाक मंसूबे 3
पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी विवादों के घेरे में 5
हजरत मोहम्मद की पत्नी के बारे में फिल्म बनाने पर मचा बवाल 6
जमात-ए-इस्लामी का मुख्यालय दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किए जाने की सम्भावना 7
टीवी चैनलों पर जाने वाले इमामों के खिलाफ कार्रवाई 8
इमामबाड़ा के दर्शकों के लिए छोटे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध 9

विश्व

राजा दाहिर को पाकिस्तान का नायक घोषित करने की मांग 10
पूजा के लिए खुला पाकिस्तान में प्राचीन हिन्दू मंदिर 13
लीबिया के मुफ्ती आजम द्वारा हज के बहिष्कार की अपील 14
इस्टर डे पर हुए हमले के सिलसिले में दो उच्चाधिकारी गिरफ्तार 14
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आतंकवादी संगठन घोषित 15
पाकिस्तान पर छह अरब डॉलर का जुर्माना 16

पश्चिमी एशिया

ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति की कड़ी चेतावनी 17
सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तानी हाजियों को विशेष सुविधा 18
हज के मौके पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर कड़ी कार्रवाई 19
होटल पर आत्मघाती हमला 19
लीबिया में तुर्की के खिलाफ अभियान 20

अन्य

आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज 21
मुस्लिम छात्रों को इस्लाम सिखाने का अभियान 23
सऊदी अरब में नौकरी दिलाने की आड़ में युवकों से ठगी 23
ईरानी विदेश मंत्री पर अमेरिका का प्रतिबंध 24
पाकिस्तान में महंगाई में वृद्धि 24

सारांश

कुछ शरारती तत्वों द्वारा देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में एक मुस्लिम वकील ने पत्रकार सम्मेलन आयोजित करके यह दुष्प्रचार किया है कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित हैं और उन पर हमलों में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें भी अपनी रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि मुसलमानों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। फिलहाल देश में एक दर्जन ऐसे शिविर लगाने की उन्होंने घोषणा की है जिनमें से आधे उत्तर प्रदेश में होंगे। लखनऊ के शिया नेता कल्बे जवाद ने भी यही राग अलापा है और उन्होंने लखनऊ में मुसलमानों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए एक बड़ा शिविर लगाने की घोषणा की है जिसमें हजारों लोगों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये तत्व मुसलमानों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि वे अधिक से अधिक संख्या में सरकार से अस्त्र-शस्त्रों का लाइसेंस प्राप्त करें। निशिचित रूप से यह अभियान बेहद खतरनाक है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों द्वारा अस्त्र-शस्त्र इक्ट्ठे करने और उनके संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त करने की प्रतिक्रिया समाज के अन्य वर्गों में भी हो सकती है। कहीं इस अभियान के पीछे विदेशी तत्वों का हाथ तो नहीं हैं जो कि भारत में अशांति और हिंसा फैलाना चाहते हैं? गुप्तचर एजेंसियों को इन सारे मामलों की बारिकी से जांच करनी चाहिए और ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

पाकिस्तान में इस्लाम के आगमन से पूर्व के पूर्वजों को तलाश करने के अभियान में तेजी आ रही है। बीबीसी के अनुसार पाकिस्तान में यह मांग दिन-प्रतिदिन तेज होती जा रही है कि सिंध के अंतिम हिन्दू सम्राट महाराजा दाहिर को राष्ट्रीय हीरो का दर्जा दिया जाए और उनकी मूर्तियां पाकिस्तान में स्थापित की जाएं। इस संबंध में यह बात भी उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद 'जिये सिंध आंदोलन' के प्रवर्तक जी.एम. सैयद ने कई वर्ष पूर्व यह अभियान चलाया था कि पाकिस्तानियों को विदेशी आक्रान्ताओं जैसे- मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाबर आदि को अपना हीरो नहीं मानना चाहिए बल्कि उन लोगों को अपना हीरो मानना चाहिए जो पाकिस्तान की भूमि में पैदा हुए थे। चाहे वे किसी भी धर्म के हों। पाकिस्तान के कट्टर शासकों ने इस आंदोलन को सख्ती से दबा दिया था मगर ऐसा प्रतीत होता है कि अब यह आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने टीवी चैनलों पर होने वाली चर्चा में भाग लेने वाले मस्जिदों के इमामों और मौलानाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हाल ही में एक इमाम को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान का कहना है कि टीवी चैनलों पर दिखने वाले इमाम अपने काम पर ध्यान नहीं देते और वे मस्जिदों में नमाज पढ़वाने की बजाय टीवी चैनलों पर अपना चेहरा दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। इससे मस्जिदों के कामकाज पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के इमामों को वक्फ बोर्ड मासिक वेतन और भत्ता देता है। ऐसी स्थिति में उन्हें इमामत और नमाज पढ़ने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

देश में हिंसा भड़काने के खतरनाक मंसूबे

एक मुस्लिम वकील महमूद पराचा ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा करके सनसनी पैदा कर दी है कि क्योंकि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं इसलिए उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि इस वर्ग से संबंधित लोगों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए देश भर में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपनी आत्म-रक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

दैनिक इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार "महमूद पराचा ने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों की हत्या जानवरों की तरह की जा रही है और पुलिस व सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि हम कानून की सीमा में रहकर अपनी रक्षा करें। कानून में हमें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार भी दिया गया है। इस कानून के तहत लोग अपनी सुरक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के अल्पसंख्यकों को हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम देश भर में लोगों को हथियारों के लाइसेंस दिलवाने और प्रशिक्षण देने के लिए शिविर लगाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि कानून की धारा 99 और 100 में लोगों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वे अपनी रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार ही उठा सकते हैं बल्कि वे हत्या तक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि शिया मुसलमानों के नेता कल्बे जवाद लखनऊ में एक शिविर लगा रहे हैं जिसमें हजारों लोगों को अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब पराचा से पूछा गया कि क्या इससे हिंसा नहीं फैलेगी? तो उन्होंने कहा कि कानून हमें आत्म-रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्रों के इस्तेमाल की अनुमति देता है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को अपनी रक्षा के लिए अब हथियार उठाने होंगे क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचा है। पराचा ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार अखलाक से लेकर तबरेज तक की हत्या करने वालों को खुलेआम बचा रही है। जानबूझकर मुकदमें ऐसे बनाए जाते हैं जिससे कि किसी दोषी को सजा न मिले।"

"उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि इससे हिंसा फैलने की सम्भावना नहीं है। हम सिर्फ अपनी आत्म-रक्षा का अधिकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग अल्पसंख्यकों की हत्या करते हैं उन्हें ताकत सरकार से मिलती है और जब लोगों के पास हथियार होंगे तो उससे हमला करनेवाले भयभीत होंगे जिसके कारण भीड़ द्वारा हत्या करने की किसी को हिम्मत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा देश में हिंसा को भड़काने या आतंकवाद को बढ़ावा देने का नहीं है।"

"उन्होंने कहा कि 'गोरक्षा समिति' के गुंडों से रक्षा के लिए 'मानव रक्षा समितियों' का गठन किया जाएगा। पराचा ने आरोप लगाया कि आरएसएस और उसके संगठनों द्वारा देश में विषाक्त वातावरण बनाने के लिए गोरक्षा, लव जिहाद, भारत माता की जय, जय श्रीराम आदि मुद्दों को उछाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास निजी सुरक्षा का अधिकार ही एक मात्र कारगर शस्त्र है जिसका स्पष्ट उल्लेख आईपीसी में भी है।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (12 जुलाई) के अनुसार "सत्तारूढ़ दल के इशारे पर गोरक्षा की आड़ में इंसानों की हत्या करने का सिलसिला दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है। एक वर्ष पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को भीड़ द्वारा हत्या करने को रोकने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था मगर सरकार ने इस संदर्भ में कोई कानून नहीं

बनाया। ऐसी स्थिति में शस्त्र कानून 1959 के तहत अल्पसंख्यकों और अन्य निर्बल वर्ग को हथियार लेकर अपनी रक्षा करनी होगी। उन्होंने कहा कि भीड़ द्वारा हत्या करने का प्रधानमंत्री जितनी निंदा करते हैं उतना ही हत्या की घटनाओं में और भी वृद्धि हो रही है। हैरानी की बात यह है कि जो लोग बेकुसूर लोगों की हत्या करते हैं उनका स्वागत नेताओं द्वारा फूलों के गुलदस्तों से किया जाता है और जिन लोगों को भीड़ पीट-पीटकर मौत के घाट उतार देती है उन्हें ही गोवध का आरोपी बना दिया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमें चलाए जाते हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि हाल ही में मध्य प्रदेश में नियाज नामक एक अल्पसंख्यक अधिकारी को भीड़ के कहर से बचने के लिए अपना नाम बदलना पड़ा। महमूद पराचा ने मुसलमानों से अपील की कि वे हथियार अपने हाथों में लें ताकि देश में जो हिंसक वातावरण पनप रहा है उसका मुकबला किया जा सके। उन्होंने देश भर के वकीलों से भी अपील की कि वे उत्पीड़न के शिकार लोगों का साथ दें।

दैनिक हमारा समाज (22 जुलाई) के अनुसार "मुसलमानों पर हो रहे हमलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के वकील महमूद पराचा ने यह मशविरा दिया है कि मुसलमानों को आत्म-रक्षा के लिए हथियारों का खुलकर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का दावा करना सरासर गलत होगा कि अल्पसंख्यकों द्वारा हथियारों का इस्तेमाल करने से हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।"

समाचारपत्र ने लिखा है कि "महमूद पराचा उन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं जिन्हें पुलिस आतंकवाद के झूठे आरोपों में गिरफ्तार करती है। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ गुमराह लोग बेगुनाह लोगों के खून की होली खेल रहे हैं और सरकारें मूकदर्शक बनी हुई हैं। ऐसी स्थिति में हमें संविधान इस बात की अनुमति देता है कि हम अपनी आत्म-रक्षा में लाइसेंसी हथियारों का इस्तेमाल करें। जब उनसे पूछा गया कि क्या इससे बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के बीच खूनी संघर्ष तेज नहीं हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि भीड़ बनाकर मुसलमानों की हत्या करने वालों के दिल में भय पैदा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंसी हथियारों का गलत इस्तेमाल करता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कानून मौजूद है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लाइसेंस प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यकों को प्रशासन और पुलिस ने झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की तो उन्हें हर तरह की कानूनी सहायता दी जाएगी। उन्होंने मुसलमानों के संगठनों से अनुरोध किया कि वे ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में अस्त्र-शस्त्रों को खरीदें और उसके इस्तेमाल का प्रशिक्षण दें। एक संवाददाता ने पूछा कि इससे बहुसंख्यक समाज में जो प्रतिक्रिया होगी उससे क्या इस देश की शांति व्यवस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी? उन्होंने कहा कि हमारे लिए मुसलमानों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इन वर्गों की भीड़ द्वारा हत्या करने की घटनाओं में भारी वृद्धि हो रही है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि इसका हथियारों से ही मुकाबला किया जाए।"

"एक अन्य समाचार के अनुसार शिया नेता और मजलिस-ए-उलेमा-ए-हिंद के महामंत्री मौलाना कल्बे जवाद ने लखनऊ में यह घोषणा की कि मुसलमानों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में बारह ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाएगा जिसमें से छह शिविर उत्तर प्रदेश में होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। आज कोई भी मुसलमान अपने आप को इस देश में सुरक्षित नहीं समझता। ऐसी स्थिति में हमारे पास आत्म-रक्षा में हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक रूप से हथियारों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शिविरों का आयोजन करने का भी अभियान चला रहे हैं। कानून के विशेषज्ञ भी इस संबंध में हमें सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस बात का प्रयास करेंगे कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को हथियारों के लाइसेंस प्राप्त न हों। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की जो घोषणा की है वह सिर्फ लीपापोती है।"

पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी विवादों के घेरे में

इंकलाब (7 जुलाई) ने यह दावा किया है कि "पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के खिलाफ भारत की प्रमुख गुप्तचर एजेंसी रॉ के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने गम्भीर आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे पत्र में इन अधिकारियों ने कहा है कि जब हामिद अंसारी ईरान में राजदूत थे तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से नहीं निभाई और गुप्तचर एजेंसी रॉ के अधिकारियों और देश के हितों की रक्षा नहीं की। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अंसारी ने ईरान सरकार और वहां की गुप्तचर एजेंसी के साथ मिलकर भारतीय गुप्तचर एजेंसी रॉ के गुप्त ऑपरेशन को क्षति पहुंचाई जो कि राष्ट्रहित के विरुद्ध है। एक पूर्व अधिकारी एन.के. सूद जो कि 2010 में रॉ से सेवानिवृत्त हुए थे ने 'संडे गार्जियन' को बताया कि हामिद अंसारी ने ईरान में रॉ की गतिविधियों को बंद करने की सिफारिश की थी। ज्ञातव्य है कि ईरान की गुप्तचर एजेंसी 'सावाक' को 1979 में भंग कर दिया गया था और उसकी जगह एक नई गुप्तचर एजेंसी का ईरान ने गठन किया था। सूद ने आरोप लगाया है कि 1991 में रॉ के अधिकारी संदीप कपूर को ईरान की गुप्तचर एजेंसी के इशारे पर तेहरान में गिरफ्तार किया गया था। उस समय तत्कालीन भारतीय राजदूत हामिद अंसारी को रॉ के अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करके कपूर को रिहा करने का निर्देश दिया था। मगर हामिद अंसारी ने रॉ के अधिकारियों के निर्देश को नजरअंदाज किया और इस मामले में हस्तक्षेप करने की बजाय भारतीय विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी कि संदीप कपूर लापता हैं और ईरान में उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं तथा उनके ईरानी महिलाओं से भी सम्बन्ध हैं। इन अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि 1991 में रॉ उन कश्मीरी नौजवानों पर नजर रख रही थी जो कि ईरान के नगर कोम जाकर एक धार्मिक संस्थान में अस्त्र-शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लेते थे। हामिद अंसारी ने ईरान सरकार को उस अधिकारी का नाम भी बता दिया जो कि रॉ से सम्बन्धित था और इन कश्मीरी आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने का काम करता था। इसके अतिरिक्त कई अन्य गम्भीर आरोप भी लगाए गए हैं।"

टिप्पणी: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी प्रारम्भ से ही विवादों में रहे हैं। उनका जन्म 1937 में कोलकाता में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी के रूप में की। इसके बाद वे एक दर्जन देशों में भारत के राजदूत रहे। 1984 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। मई 2000 से मार्च 2004 तक वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। 2007 में कांग्रेस ने उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतारा और वे चुनाव जीत गए। 2012 में उनके कार्यकाल में पांच वर्ष की और वृद्धि की गई। हामिद अंसारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। उपराष्ट्रपति पद के विदाई समारोह में हामिद अंसारी ने अपने भाषण में यह आरोप भी लगा डाला कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। कहा जाता है कि 30 दिसम्बर 2011 को संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और अन्ना हजारे आंदोलन के कारण सदन में जनलोकपाल विधेयक पर गरमा-गरम चर्चा हो रही थी। जब आधी रात को मतदान होने ही वाला था कि राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में अंसारी ने अपना सिंहासन सम्भाला और अचानक सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। भाजपा के अतिरिक्त कई अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ थी और सरकार के हारने की स्थिति बन गई थी। भाजपा ने सदन के अचानक स्थगित किए जाने के लिए अंसारी की आलोचना की थी और यह आरोप लगाया था कि उपराष्ट्रपति ने सरकार का बचाव किया है। भाजपा यह भी आरोप लगाती रही है कि अंसारी ने राज्यसभा के अध्यक्ष के नाते कांग्रेस का साथ दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और 2015 में पहला योग दिवस विश्व के 190 देशों में मनाया गया। मगर

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इस कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। भाजपा के महासचिव राम माधव ने अंसारी की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाया था। 2015 में ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज को सलामी न लेने के प्रश्न पर भी अंसारी चर्चा में रहे। रोचक बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के अखलाक हत्याकांड पर भी उपराष्ट्रपति अंसारी टिप्पणी करने से बाज नहीं आए। सितंबर 2015 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा और यह उपदेश दे डाला कि सरकार को मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करना चाहिए। इससे पूर्व कोझीकोड में विवादित इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में भाग लेने को लेकर भी हामिद अंसारी विवादों में रहे। भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद ने अंसारी की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसे संगठन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हों।

हजरत मोहम्मद की पत्नी के बारे में फिल्म बनाने पर मचा बवाल

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार "शिया नेता वसीम रिजवी द्वारा हजरत मोहम्मद साहब की पत्नी हजरत आयशा के बारे में एक फिल्म बनाने की घोषणा से नया विवाद उत्पन्न हो गया है। हाल ही में वसीम रिजवी ने कहा था कि सोनम त्रिपाठी नामक एक अभिनेत्री हजरत आयशा की भूमिका निभाएगी। वसीम रिजवी के अनुसार यह डिजिटल फिल्म होगी जिसे 2020 के अंत तक रिलीज किया जाएगा। वसीम रिजवी के इस घोषणा के बाद मुसलमानों के अन्य नेताओं ने इस फिल्म का विरोध किया। शिया नेता मौलाना कल्बे जवाद ने सरकार से मांग की है कि इस फिल्म की शूटिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। जबकि सुन्नी नेता मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि हजरत आयशा के बारे में कोई फिल्म बनाना इस्लाम के खिलाफ है। उन्हें मुसलमानों की मां कहा जाता है और उनके बारे में कोई फिल्म बनाना निंदनीय है जिसे सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस फिल्म पर फौरन प्रतिबंध लगाने की मांग की। टीले वाली मस्जिद के इमाम फजल मन्नान रहमानी ने कहा है कि वसीम रिजवी जानबूझकर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर इस्लाम विरोधी अभियान चला रहे हैं और वे मुसलमानों की एकता को तार-तार करने का काम कर रहे हैं। मौलाना ने कहा कि वसीम रिजवी के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोपों की जांच चल रही है इसलिए वे जेल जाने से बचने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेताओं के इशारे पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले रिजवी ने राम जन्मभूमि नामक विवादित फिल्म बनाकर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सम्बन्धों को बिगाड़ने का प्रयास किया था। महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की संस्थापक शाइस्ता अंबर ने हजरत आयशा के बारे में फिल्म बनाने की निंदा की है और सरकार से मांग की है कि वह इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाए और रिजवी को फौरन गिरफ्तार करे।"

समाचारपत्र का कहना है कि "वसीम रिजवी जिस महिला के बारे में फिल्म बना रहे हैं वह न केवल पैगम्बर-ए-इस्लाम की पत्नी ही है बल्कि वह इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर की बेटी भी है। उसपर फिल्म बनाने से सारे इस्लामिक जगत में भारत के खिलाफ वातावरण बनेगा।"

"एक अन्य समाचार के अनुसार राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमीर रशादी ने आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप हैं इसलिए वे कानून से बचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी प्रारम्भ से ही सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर नाचते रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें शिया समाज से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने मांग की कि रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए।"

जमात-ए-इस्लामी का मुख्यालय दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किए जाने की सम्भावना

हमारा समाज (14 जनवरी) के अनुसार "जमात-ए-इस्लामी के मुखपत्र 'दावत' के बंद होने की सम्भावना है। हालांकि उसे त्रिदिवसीय के बजाय साप्ताहिक बनाए जाने की भी चर्चा गर्म है। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि जमात-ए-इस्लामी का मुख्यालय अब दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरण किए जाने की सम्भावना है। ज्ञातव्य है कि देश के विभाजन के बाद जमात-ए-इस्लामी का मुख्यालय रामपुर में स्थापित किया गया था। बाद में इसे पुरानी दिल्ली के मोहल्ला सुईवालान में स्थानांतरण किया गया और फिर बाद में ओखला में बनाए गए जमात-ए-इस्लामी के दावत नगर में स्थानांतरण किया गया था।"

"हमारा समाज ने यह भी दावा किया है कि उसने 8 अप्रैल 2019 को एक समाचार प्रकाशित किया था जिसमें दावा किया गया था कि इस मुस्लिम संगठन पर अब दक्षिण भारतीयों का कब्जा हो गया है। ज्ञातव्य है कि जमात-ए-इस्लामी का जो नया नेतृत्व उभरा है उसमें से अधिकांश का सम्बन्ध दक्षिण भारत से है। हाल ही में दावत समाचारपत्र के बंद होने का मामला जमात-ए-इस्लामी द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन में भी उठाया गया था। इसका उत्तर जमात के नई अमीर सैयद सआदतुल्ला हुसैनी ने सीधा देने के बजाय यह कहकर टाल दिया कि इसके बारे में वह ट्रस्ट ही फैसला कर सकता है जो कि दावत अखबार को चलाता है। हमारा समाज ने दावा किया है कि हाल ही में जमात-ए-इस्लामी के जो 9 पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनमें से नए अमीर सहित पांच पदाधिकारियों का सम्बन्ध दक्षिण भारत से है। नए अमीर सैयद सआदतुल्ला हुसैनी हालांकि जन्म से महाराष्ट्र के हैं मगर वे काफी समय से हैदराबाद में रह रहे हैं। तीन उप-अमीरों में से सैयद अमीनुल हसन, बंगलौर, मोहम्मद जाफर, बिहार और मोहम्मद सलीम, राजस्थान से हैं जबकि शेष का संबंध दक्षिण से है। जमात के प्रमुख अधिकारी टी. आरिफ अली केरल के रहने वाले हैं। हमारा समाज ने दावा किया है कि दावत के पास अपना निजी प्रेस भवन और अन्य सुविधाएं भी हैं मगर अब उन्हें कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। अधिकांश कर्मचारियों की भी छुट्टी की जा रही है। केन्द्रीय मक्तबा इस्लामी हिन्द में हाल तक 50 कर्मचारी होते थे मगर अब उनकी संख्या घटकर 18 हो गई है। दावत का प्रकाशन 1953 से शुरू हुआ था और उसकी प्रसार संख्या उर्दू समाचारपत्रों में सबसे ज्यादा है। आपातकाल के बाद इसे दैनिक अखबार से त्रिदिवसीय समाचारपत्र में बदल दिया गया। ज्ञातव्य है कि हाल ही में कई मुस्लिम अखबार बंद हुए हैं इनमें मिल्ली गजट, कौमी सलामती, शाहीन, अजीजुलहिन्द आदि प्रमुख हैं।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (9 जुलाई) के अनुसार "जमात-ए-इस्लामी ने अपने मुखपत्र त्रिदवसीय दावत को बंद करने की घोषणा की है। जमात-ए-इस्लामी ने इस पत्र को बंद करने का कारण उसे हो रहा घाटा बताया है। इस निर्णय से तीन दर्जन से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इससे पूर्व केन्द्रीय इस्लामिक पब्लिकेशन के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा चुका है। जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनमें से अधिकांश की उम्र 50 वर्ष से अधिक है।"

टीवी चैनलों पर जाने वाले इमामों के खिलाफ कार्रवाई

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार "दिल्ली वक्फ बोर्ड ने टीवी चैनलों पर जाने वाले मुस्लिम इमामों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एक चैनल पर जाने वाले एक मस्जिद के इमाम को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है जबकि अन्य इमामों को यह निर्देश दिया गया है कि वे टीवी चैनल पर होने वाली बहसों में कतई भाग न लें। समाचारपत्र के अनुसार बोर्ड को यह निरंतर शिकायत मिल रही है कि कुछ इमाम नमाज पढ़ाने की बजाय टीवी चैनलों पर होने वाले बहस में भाग लेते हैं और वहां पर मुसलमानों को मजाक का केन्द्र बनाते हैं। बोर्ड ने इन शिकायतों के आधार पर इंडिया गेट स्थित मस्जिद जाब्ता गंज के इमाम मौलाना असद फलाही को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है।"

"समाचारपत्र का कहना है कि इंकलाब ने निरंतर इस तरह के समाचार प्रकाशित किए थे कि टीवी चैनलों पर होने वाले बहस में भाग लेने वाले इमाम इस्लाम की धार्मिक स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाते जिससे मुसलमान मजाक का पात्र बनते हैं। टीवी चैनलों पर जाने वाले इमामों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इंकलाब के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और यह स्पष्ट किया कि हम किसी लालच के कारण चैनलों पर नहीं जाते बल्कि हमारा यह लक्ष्य होता है कि इन चैनलों पर होने वाले बहस एकपक्षीय न हो और हम मुसलमानों के दृष्टिकोण को भी जनता के सामने पेश कर सकें। समाचारपत्र का कहना है कि चैनलों पर जाने वाले इमामों की एक बैठक इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुई जिसमें उन्होंने यह घोषणा की कि वे जी न्यूज के अतिरिक्त किसी अन्य चैनल पर नहीं जाएंगे। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर इमामों के खिलाफ अभियान चलता रहा और कुछ इमामों को धमकियां तक दी गई। इंकलाब के कार्यालय को फोन करके कई मुसलमानों ने शिकायत की कि ये मुस्लिम नेता और इमाम चैनलों पर जाकर मुसलमानों को मजाक का केन्द्र बना रहे हैं।"

"कुछ लोगों ने इस संबंध में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह से भी बातचीत की। खास बात यह है

कि बोर्ड मस्जिदों में अपनी इच्छा से इमामों की नियुक्ति करता है और उन्हें भत्ता आदि देता है। इसके अतिरिक्त उनका स्थानांतरण एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में किया जाता है। क्या ऐसी स्थिति में चैनलों पर जाने से पूर्व वक्फ बोर्ड की अनुमति लेनी जरूरी नहीं है? बाद में अमानतुल्लाह ने बताया कि बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि जो इमाम चैनलों पर जाते हैं, कौम की बेइज्जती का कारण बनते हैं और मस्जिदों में नमाज भी नहीं पढ़ाते हैं ऐसे इमामों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसी सिलसिले में जाब्ता गंज की मस्जिद के इमाम मौलाना असद फलाही को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। अमानतुल्लाह ने कहा कि हमें यह शिकायत मिल रही थी कि मौलाना चैनल पर तो जाते हैं मगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाते हैं। हमने जांच की तो पता चला कि मौलाना नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं थे बल्कि वे न्यूज चैनल के दफ्तर में थे। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने अब कड़े निर्देश दिए हैं कि इमाम टीवी चैनलों पर जाने की बजाय मस्जिदों में नमाज पढ़ाने पर ध्यान दें वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बर्खास्त किया जाएगा।" ■

इमामबाड़ा के दर्शकों के लिए छोटे कपड़े पहनने पर प्रतिबंध

इंकलाब (1 जुलाई) के अनुसार "लखनऊ के ऐतिहासिक छोटे और बड़े इमामबाड़े में अश्लील कपड़े पहनकर दाखिल होने एवं वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला ट्रस्ट के चेयरमैन राजकौशल शर्मा ने किया है। शिया इमाम मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने कहा है कि यह फैसला हमारी मांग पर किया गया हैं। हम कई वर्षों से इमामबाड़े की पवित्रता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह मांग कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि सरकार ने हमारी मांग मान ली है। हुसैनी टाइगर्स के पूर्व अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड बचाओ आंदोलन के नेता शमील शम्सी ने कहा कि इमामबाड़ा की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इमामबाड़े क्योंकि प्रेमीजनों के मिलन स्थल बन रहे थे इसलिए 2014 में हुसैनी टाइगर्स के युवकों ने इमामबाड़ा के गेटों पर ताले लगा दिए थे। उस समय ट्रस्ट के तत्कालीन चेयरमैन अनुराग यादव ने लिखित रूप से यह आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाए जाएंगे। मजलिस-ए-उलेमा से सम्बन्धित मौलाना हबीब हैदर ने कहा कि इमामबाड़ा पिकनिक स्पॉट नहीं है बल्कि एक धार्मिक स्थान है जिसकी पवित्रता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। क्योंकि यह ऐतिहासिक स्थल है इसलिए इनको देखने के लिए देश और विदेश से काफी पर्यटक आते हैं। इमामबाड़ा के मतवली मोहम्मद हैदर ने कहा कि हम इमामबाड़ा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए काफी देर से सरकार से मांग कर रहे थे और मैंने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था। हमारी मांग थी कि अश्लील लिबास पहनकर आने वाले पर्यटकों के इमामबाड़ा में दाखिले पर प्रतिबंध लगाया जाए और फोटो और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई जाए। दूसरी ओर इमामबाड़ा देखने के लिए आने वाले सैंकड़ों पर्यटकों को इस प्रतिबंध से काफी परेशानी हुई। उनका कहना था कि वे अब नए कपड़े कहां से बदलकर आएं? इस प्रतिबंध के बारे में प्रशासन को समाचारपत्रों में जानकारी देनी चाहिए थी।"

टिप्पणी: बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण अवध के नवाब आसफउद्दौला ने अकाल के दौरान इससे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए करवाया था। इसका निर्माण 1784 में किया गया था। जहां तक इमामबाड़ा का सम्बन्ध है मुसलमानों के शिया सम्प्रदाय में इसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसमें मोहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजिये और उनसे सम्बन्धित अन्य सामान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मोहर्रम के दौरान इनमें मजलिसों का आयोजन भी किया जाता है जिनमें कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अतिरिक्त उनका मातम भी होता है। मोहर्रम के दौरान सभी शिया पुरुष, महिला और बच्चे काले कपड़े पहनते हैं। ज्ञातव्य है कि कर्बला के मैदान में पैगम्बर मोहम्मद के नातियों और परिवारजनों को यदीद ने शहीद कर दिया था। इस शहादत की याद में विश्व भर के शिया मोहर्रम मनाते हैं।

जहां तक बड़े इमामबाड़े का संबंध है। इसमें एक विशाल हॉल 50 मीटर लम्बा और 15 मीटर ऊँचा है। इस विशाल छत में कोई कड़ी आदि नहीं डाली गई है। इमारत की छत तक जाने के लिए 84 सीढ़ियां हैं। इसका निर्माण इस तरह से किया गया है कि दर्शक इन रास्तों की भूल भुलैया में खो जाते हैं। इस इमारत की कल्पना और कारीगरी कमाल की है। ऐसे झरोखे बनाए गए हैं जहां पर बैठा व्यक्ति इसमें प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को देख सकता है और उस पर नजर रख सकता है। जबकि झरोखे में बैठे व्यक्ति को कोई दर्शक नहीं देख सकता। इस इमामबाड़े में एक आसिफी मस्जिद भी है। इमामबाड़े में नवाबों के काल के अनेक ताजिये और उनसे सम्बन्धित बहुमूल्य सामान रखा गया है। इमामबाड़े में सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। बड़े इमामबाड़े के पास ही छोटा इमामबाड़ा भी स्थित है जिसका निर्माण बादशाह गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में किया गया था।

राजा दाहिर को पाकिस्तान का नायक घोषित करने की मांग

बीबीसी उर्दू (8 जुलाई) के अनुसार "पाकिस्तानी पंजाब में सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति लगाने और उन्हें 'शेर-ए-पंजाब' करार देने के बाद सिंध सूबे में भी वहां के अंतिम हिन्दू सम्राट राजा दाहिर को भी सरकारी तौर पर हीरो करार देने की मांग दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ रही है। रणजीत सिंह की मूर्ति की स्थापना के बाद सोशल मीडिया पर पंजाब को मुबारकबाद पेश की जा रही है कि उसने अपने असल नायक को सम्मान दिया है। क्वेटा के पत्रकार जावेद लांगाह ने फेसबुक पर लिखा है कि 'आखिरकार राजा रणजीत सिंह बादशाही मस्जिद के दक्षिण पूर्व स्थित अपनी समाधि से निकलकर शाही किले के सामने घोड़े पर सवार होकर अपनी राजधानी में फिर से प्रकट हो गए हैं।' उन्होंने आगे लिखा है कि 'पंजाब दशकों तक अपने असल इतिहास को झुठलाता रहा है और एक ऐसा काल्पनिक इतिहास गढ़ने की कोशिश में जुटा रहा जिसमें वह राजा पोरस और रणजीत सिंह समेत असली राष्ट्रीय नायकों की जगह गौरी, गजनवी, सूरी और अब्दाली जैसे आक्रांताओं को नायक बनाकर पेश करता रहा है। इन आक्रान्ताओं ने दोनों हाथों से पंजाब समेत पूरे हिन्दुस्तान का संसाधन लूटा था।"

"दरम खान नाम के एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लिखा कि 'अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के बच्चों को स्कूलों में सच बताया जाए और उन्हें अरब और मुगल इतिहास के बजाय अपना इतिहास पढ़ाया जाए।' पत्रकार निसार खोखर पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि 'रणजीत सिंह पंजाब पर शासन करने वाले पहले पंजाबी थे, अगर सिंध सरकार एक ऐसी ही मूर्ति सिंधी शासक राजा दाहिर की लगा दे तो आपको गुस्सा तो नहीं आएगा, कुफ्र और गद्दारी के फतवे तो जारी नहीं होंगे?' सिंध की कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने वाले संस्थान सिंध्यालॉजी के निदेशक डॉक्टर इसहाक़ समीजू भी राजा दाहिर को सिंध का नेशनल हीरो करार दिए जाने की हिमायत करते हैं। उनका कहना है कि हर कौम को ये हक हासिल है कि जिन भी महान विभूतियों ने अपने देश की रक्षा के लिए जान की बाजी लगाई उनको श्रद्धांजलि दी जाए। उनका कहना था, 'इतिहास में रणजीत सिंह का किरदार तो फिर भी विवादित रहा है, मगर राजा दाहिर ने न तो किसी मुल्क पर हमला किया और न ही जनता पर जुल्म ढाये।'"

कौन थे राजा दाहिर?

"राजा दाहिर आठवीं सदी में सिंध के हिन्दू शासक थे। वे राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण शाही वंश के

आखिरी शासक थे। सिंधियाना इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक हजारों वर्ष पहले कई कश्मीरी ब्राह्मण वंश सिंध आकर आबाद हुए। यह पढ़ा-लिखा तबका था, राजनीतिक असर और रसूख हासिल करने के बाद उन्होंने राय घराने की 184 साल की हुकूमत का खात्मा किया और चच पहले ब्राह्मण शासक बने। इतिहासकारों के मुताबिक राजा दाहिर की हुकूमत पश्चिम में मकरान तक, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तक, पूर्व में मौजूदा मालवा के केंद्र और राजपूताने तक और उत्तर में दक्षिणी पंजाब तक फैली हुई थी। सिंध से जमीनी और समुद्री व्यापार भी होता था। मुमताज पठान 'तारीख़-ए-सिंध' में लिखते हैं कि राजा दाहिर इंसाफ-पसंद थे। तीन तरह की अदालतें थीं, जिन्हें कोलास, सरपनास और गनास कहा जाता था, बड़े मुकदमे राजा के पास जाते थे जो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। उस समय सिंध विश्व के खुशहाल देशों में गिना जाता था।"

सिंध पर हमला

"आठवीं सदी में बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर उनके भतीजे और नौजवान सिपहसालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। राजा दाहिर जी जान से लड़े उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी ने सेना की कमान सम्भालकर अरबों के लश्कर को कई महीनों तक बढ़ने से रोके रखा। मगर बाद में कुछ लोगों की गद्दारी के कारण हिन्दुओं की हार हुई। आक्रान्ताओं ने राजधानी दबेल उर्फ ब्राह्मणाबाद पर कब्जा करके 40 हजार से अधिक निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर दी। सैकड़ों मंदिरों को लूटने के बाद उन्हें ध्वस्त कर दिया। सारे देश में अरब हमलावरों ने जमकर लूटपाट की।"

"सिंध में अरब इतिहास की पहली किताब 'चचनामा' या 'फतेहनामा' के अनुवादक अली कोफी लिखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तोहफे भेजे थे जो दीबल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए। इन समुद्री जहाजों में औरतें भी मौजूद थीं। कुछ लोग फरार होकर हुज्जाज के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि अरब औरतें आपको मदद के लिए पुकार रही हैं। इतिहासकारों के मुताबिक हुज्जाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को पत्र लिखा और उनसे क्षतिपूर्ति मांगी और उन्हें हुक्म दिया कि वे लूटे गए सामान और महिलाओं को वापस करें। जबकि राजा दाहिर का कहना था कि समुद्री जहाजों को डाकुओं ने लूटा है और यह घटना उनके राज्य में नहीं हुई इसलिए लूटा हुआ सामान और महिलाओं को लौटाना उनके लिए सम्भव नहीं है। सिंध के राष्ट्रवादी नेता राजा दाहिर के इस तर्क को स्वीकार करते हैं और उनका कहना था कि अरबों ने यह हमला लूटपाट करने के लिए किया था और उनका लक्ष्य भारतीयों को गुलाम बनाकर विदेश में बेचना था। उन्होंने 'सिंध के सूरमा' नामक पुस्तक में लिखा है कि 'यह लूटपाट समुद्री डाकुओं ने की थी और इसके लिए राजा दाहिर को दोषी ठहराना सरासर गलत है। उनका यह भी कहना था कि इससे पूर्व भी अरबों ने 14 बार सिंध पर हमला किया था मगर हर बार सिंध के सूरमाओं के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हर बार अरब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर सिंध से भाग पाए।'"

अलाफियों की बगावत

"ओमान में माविया बिन हारिस अलाफी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी, जिसमें अमीर सईद मारा गया। 'चचनामा' के मुताबिक मोहम्मद अलाफी ने अपने साथियों के साथ जान बचाकर मकरान में शरण ली जो कि राजा दाहिर के साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद मकरान पर अरबों के हमलों का सिलसिला शुरू हो गया। मगर हर बार भारतीय वीरों ने अरबों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया और अरबों को दूम दबाकर वापस भागना पड़ा।"

शासकीय अराजकता

"राजा दाहिर के तख़्त पर आसीन होने से पहले इनके भाई चंद्रसेन राजा थे जो बौद्ध मत के समर्थक थे। हिंसा के प्रचार के कारण चंद्रसेन ने सैनिक सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। उनके निधन के बाद राजा दाहिर ने सत्ता की बागडोर सम्भाली। अरब इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद बिन

कासिम की विजय में राजा दाहिर के राज्य में रहनेवाले बौद्धों और जैनियों की बड़ी खतरनाक भूमिका थी। अरब इतिहासकारों के अनुसार इस सम्प्रदाय के लोग अहिंसा में विश्वास रखते थे इसलिए उन्होंने अरब आक्रमणकारियों का साथ दिया। 'चचनामा' के मुताबिक बौद्धिक भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त निरोनकोट और सिवस्तान में उनका स्वागत और मदद की और उन्हें राजा दाहिर की सेना के बारे में गुप्त जानकारी दी। बौद्धों और जैनियों की गद्दारी के कारण अरबों को दाहिर को पराजित करने में मदद मिली।"

राजा दाहिर की बेटियां और मोहम्मद बिन कासिम

"'चचनामा' के अनुसार सिंध पर विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने लूट के सामान के साथ तोहफे के तौर पर राजा दाहिर की दो सुंदर पुत्रियों को भी खलीफा की सेवा में भेजा। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दोनों राजकुमारियों को एक दो दिन आराम करने के बाद उनके हरम में लाने का आदेश दिया। एक रात दोनों को खलीफा के हरम में बुलाया गया। खलीफा ने अपने एक अधिकारी से कहा कि वे मालूम करके बताएं कि दोनों में कौन सी लड़की बड़ी है। बड़ी ने अपना नाम सूर्या देवी बताया और उसने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया तो खलीफा उनकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए और लड़की को हाथ से अपनी तरफ खींचा लेकिन लड़की ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, 'बादशाह सलामत रहें, मैं बादशाह के काबिल नहीं क्योंकि आदिल इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने हमें तीन दिन अपने पास रखा और हमारे साथ बलात्कार करने के बाद हमें खलीफा की खिदमत में भेजा है।'"

"इतिहासकारों के अनुसार खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, मोहम्मद बिन कासिम से बेहद नाराज हुए और उन्होंने आदेश दिया कि बैल की ताजा खाल में सीलकर मोहम्मद बिन कासिम को उनके सामने पेश किया जाए। जब ये फरमान मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचा तो वे अवधपुर में थे। तुरंत आदेश का पालन किया गया लेकिन दो दिन में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा दाहिर की बेटियों ने इस तरह अपना बदला लिया।"

टिप्पणी: हाल ही में पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग ने कराची के पास मंसूरा नगर को विकसित करने का निर्णय किया। कहा जाता है कि मंसूरा नगर राजा दाहिर की प्राचीन राजधानी थी। इस प्राचीन नगर के उत्खन्न से आठवीं शताब्दी के अनेक पुरावशेष प्राप्त हुए थे। पहले पाकिस्तान सरकार का पर्यटन विभाग मंसूरा नगर की यह कहकर प्रचार करता था कि भारतीय महाद्वीप में मंसूरा अरबों द्वारा बसाया गया सबसे पहला सुनियोजित नगर है। मगर हाल ही में सिंध में जो सिंधी राष्ट्रवाद की लहर आई है उसके बाद पाकिस्तानी इतिहासकारों के स्वर भी बदल गए हैं और वे इस बात पर बल देने लगे हैं कि यही प्राचीन नगर राजा दाहिर की राजधानी हुआ करती थी। उत्खन्न में प्राचीन दुर्ग के काफी अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों में इन दिनों इस्लाम से पूर्व के अपने इतिहास को खोज निकालने की होड़ लगी हुई है। अभी तक उपमहाद्वीप के मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाबर को अपना राष्ट्रीय हीरो और पूर्वज मानकर उनपर गर्व किया करते थे। मगर अब पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के स्वर बदलने लगे हैं। पंजाब में पंजाब आंदोलन दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है। इस आंदोलन के समर्थकों ने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि उनके हीरो इस धरती पर पैदा होने वाले व्यक्ति ही हो सकते हैं। वे किसी भी विदेशी आक्रांता को अपना हीरो मानने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद यही कारण है कि 'डॉन' समाचारपत्र में पेशावर विश्वविद्यालय के उपकुलपति एम. कासिम ने हाल ही में एक विस्तृत लेख लिखा था जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आचार्य चाणक्य और व्याकरणविद् पाणिनि की गणना विश्व की विभूतियों में होती है। मगर हम पाकिस्तानी अपने इन पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे रोचक बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ इतिहासकारों ने तो आचार्य चाणक्य के जन्म स्थान को भी ढूंढ निकाला है जो कि ख़ैबर पख़्तूनख़्वा के मर्दान जिला में स्थित है। कासिम ने लिखा है कि संस्कृति और इतिहास एक शाश्वत धारा होती है जिसे धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता।

पूजा के लिए खुला पाकिस्तान में प्राचीन हिन्दू मंदिर

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (6 जुलाई) के अनुसार "पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक नगर सियालकोट में एक प्राचीन शिव मंदिर शिवाला तेजा सिंह को हिन्दुओं के लिए खोल दिया गया है। यह मंदिर गत 72 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। यह एक कनाल भूमि में स्थित है। वक्फ बोर्ड ने इसे हिन्दुओं के लिए पुनः खोलने का फैसला किया है। इस सम्बन्ध में एक आयोजन किया गया जिसमें हिन्दू नेता डॉ. मनव्वर चांद, अमरनाथ रंधावा और पंडित काशीराम आदि ने भाग लिया। वक्फ बोर्ड के उपसचिव सैयद फराज अब्बास ने बताया कि यह मंदिर देश के विभजान के बाद से बंद पड़ा हुआ था। अब स्थानीय लोगों ने इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से इसे खोलने का अनुरोध किया था।"

"इमरान खान के हस्तक्षेप के बाद इसे हिन्दुओं के हवाले कर दिया गया है। सियालकोट के रहने वाले एक हिन्दू शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने इस मंदिर को हिन्दुओं को सुपुर्द करके अपनी जिम्मेवारी पूरी की है। मगर सवाल यह है कि क्या उन्हें वहां पर पूजा करने की अनुमति होगी या नहीं। उन्होंने कहा कि उनका अनुभव यह है कि इस मंदिर के आसपास जो कट्टरपंथी रह रहे हैं उन्हें यह बात पसंद नहीं है कि हिन्दू इस मंदिर में पुनः पूजा अर्चना करें। उन्होंने कहा कि सियालकोट में कम-से-कम चार सौ हिन्दू आबाद हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही मंदिर है। इस मंदिर में इस समय कोई मूर्ति नहीं है इसलिए सिंध और भारत से इसकी मूर्तियां मंगवाई जाएंगी। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व पाकिस्तान सरकार 2015 में सियालकोट में ही स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे बाबा की बेर को सिखों के हवाले कर चुकी है।"

लीबिया के मुफ्ती आजम द्वारा हज के बहिष्कार की अपील

इंकलाब (6 जुलाई) के अनुसार "लीबिया के मुफ्ती आजम ने विश्व भर के मुसलमानों से अपील की है कि वे उमरा और हज का बहिष्कार करें क्योंकि सऊदी अरब को इनसे जो आमदनी होती है उसका उपयोग मुसलमानों की हत्याओं के लिए किया जा रहा है। इस संदर्भ में मुफ्ती सादिक अल गरियानी ने एक फतवा जारी करके कहा है कि हाजी जो धनराशि करों के रूप में सऊदी सरकार को देते हैं उसका इस्तेमाल मुसलमानों की हत्या करवाने के लिए किया जाता है। ऐसे लोग जो इससे पहले हज या उमरा कर चुके हैं अगर वे दोबारा सऊदी अरब जाते हैं तो यह पाप होगा। इससे पूर्व इख्वानुल मुस्लिमीन से संबंध रखने वाले मुफ्ती युसूफ अल कज़ावी ने एक फतवे में दुनिया के मुसलमानों से अपील की है कि वे उमरा और हज के लिए मत जाएं बल्कि वे अपने-अपने देश में रहकर गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करें। अल्लाह की नजर में यह हज और उमरा से ज्यादा बेहतर है। ट्यूनिशिया के धार्मिक नेताओं ने भी देश के मुफ्ती आजम से अनुरोध किया है कि वे एक फतवा जारी करके मुसलमानों को हज के लिए अरब जाने से रोकें।"

इस्टर-डे पर हुए हमले के सिलसिले में दो उच्चाधिकारी गिरफ्तार

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार "श्रीलंका के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस्टर के अवसर पर देश में इस्लामिक जिहादियों द्वारा किए गए बम धमाकों को रोकने में विफल होने के आरोप में श्रीलंका के पुलिस प्रमुख और पूर्व रक्षा सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूर्व लंका सरकार के सरकारी वकील ने कहा था कि क्योंकि ये दोनों उच्चाधिकारी पूर्व जानकारी होने के बावजूद इन धमाकों को रोकने में विफल रहे हैं इसलिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंका के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी का नाम पूजीथ जयसुंदरा है। श्रीलंका में पुलिस की व्यवस्था ब्रिटेन ने 1857 में शुरू की थी। श्रीलंका के पुलिस इतिहास में पहली बार किसी पुलिस प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। जबकि पूर्व रक्षा सचिव हेमाश्री फर्नांडीज हैं। इन दोनों व्यक्तियों को गुप्तचर विभाग के अधिकारियों ने दो अस्पतालों में छापा मारकर हिरासत में लिया है जहां पर दोनों अधिकारी इलाज कराने के लिए दाखिल हुए थे। देश के अटॉर्नी जनरल दप्पुला डे लिवेरा ने कहा है कि सरकार को इस बात की जानकारी थी कि श्रीलंका में आतंकवादी हमला होने वाला है। मगर इसके बावजूद ये दोनों अधिकारी इस हमले को रोकने में विफल रहे। इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा।"

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आतंकवादी संगठन घोषित

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (4 जुलाई) के अनुसार अमेरिका ने "बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) को आतंकवादी संगठन और जिहादी संगठन हिजबुल्लाह के नेता हुसैन अली हज़्ज़ीमा को विश्व स्तर का आतंकवादी घोषित किया है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने जैश-उल-अदल नामक जिहादी इस्लामी संगठन को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। प्रवक्ता ने कहा है कि इन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ताकि वे भविष्य में किसी तरह का आतंकवादी कार्रवाई न कर सकें। अमेरिका में इनकी सारी संपत्ति और बैंक खाते जब्त कर लिए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने बलूच लिबरेशन आर्मी का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह एक सशस्त्र पृथक्कतावादी आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के क्षेत्र में सैनिकों और नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। इस संगठन ने अगस्त 2018 में चीनी इंजिनियरों को अपना निशाना बनाया था और नवंबर 2018 में कराची में चीन के वाणिज्य दूत कार्यालय पर हमला किया था। मई 2019 में बलूचिस्तान में ग्वादर के एक होटल पर भी इसी आतंकवादी संगठन ने हमला किया था।"

"अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार हिजबुल्लाह को 1997 में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। यूनिट 2000 हिजबुल्लाह का गुप्तचर विंग है। जंद अल्लाह को 2010 में आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। इस संगठन ने 2012 में अपना नाम बदलकर जैश-उल-अदल कर लिया और इसने सैकड़ों ईरानी नागरिकों की हत्या की। इनमें फरवरी 2019 में आत्मघाती हमला और अक्टूबर 2018 में ईरान के सुरक्षाकर्मियों का अपहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन संगठनों की गतिविधियों के कारण अमेरिका की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि हमारा यह प्रयास है कि आर्थिक रूप से इन आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ दी जाए। पाकिस्तान सरकार के एक प्रवक्ता ने अमेरिका द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित करने का स्वागत किया है। पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैजल ने कहा है कि पाकिस्तान सरकार इस आतंकवादी संगठन पर 2006 में ही प्रतिबंध लगा चुकी है।"

पाकिस्तान पर छह अरब डॉलर का जुर्माना

इत्तेमाद (15 जुलाई) के अनुसार "विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायालय ने 2011 में रेकोडिक परियोजना के लिए एक कम्पनी को खनन की गैरकानूनी तौर पर अनुमति न देने के कारण पाकिस्तान सरकार पर छह अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा जुर्माना बताया जाता है। बताया जाता है कि चिली की एक खनन कम्पनी और कनाडा की एक कम्पनी बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन के बीच एक समझौता हुआ था और उन्हें बलूचिस्तान में एक परियोजना शुरू करनी थी मगर बलूचिस्तान सरकार ने 2011 में इन कम्पनियों को खनन में खुदाई करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस पर इन दोनों कम्पनियों ने 2012 में विश्व बैंक से सम्बन्धित विदेशी पूंजी निवेश अधिकरण मध्यस्थता संस्थान के समक्ष पाकिस्तान के खिलाफ अपना दावा पेश किया। इस संस्थान ने अपने सात सौ पृष्ठ के निर्णय में पाकिस्तान सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह चार अरब अस्सी करोड़ डॉलर का जुर्माना अदा करे और उस पर दो अरब डॉलर ब्याज का भूगतान करे। प्रधानमंत्री इमरान खान रेकोडिक केस में जुर्माना लगाए जाने के बारे में जांच के लिए एक आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल के अनुसार यह आयोग इस बात की जांच करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में पाकिस्तान अपना पक्ष सही ढंग से प्रस्तुत करने में क्यों विफल हुआ और उसके लिए कौन दोषी है?"

ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति की कड़ी चेतावनी

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह आग से खेलने की कोशिश न करे। इससे उसे ही क्षति होगी। ट्रम्प का यह बयान ईरान की ओर से एनरिच यूरेनियम की मात्रा बढ़ाए जाने के बारे में आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधि का निरंतर उल्लंघन कर रहा है और इसके खतरनाक परिणाम होंगे। जबकि ईरान ने यह दावा किया है कि एनरिच यूरोनियम के भंडार में ईरान ने जो वृद्धि करने का फैसला किया है वह परमाणु संधि के अनुसार है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ ज्यादा-से-ज्यादा दबाव बढ़ाने की अमेरिकी नीति को जारी रखा जाएगा और ईरान को मध्य-पूर्व की शांति को तबाह करने नहीं दिया जाएगा।"

"इससे पूर्व ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा कि उन्होंने यूरेनियम का उत्पादन 300 किलोग्राम से अधिक कर दिया है। ईरान से जो परमाणु समझौता हुआ था उसमें ईरान पर यह प्रतिबंध लगाया गया था कि वह 300 किलोग्राम से अधिक की यूरोनियम नहीं रखेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की परमाणु ऊर्जा पर नजर रखने वाली एजेंसी आईईएई ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान के पास यूरेनियम के भंडार 300 किलोग्राम से अधिक है जो कि 2015 में हुए परमाणु समझौते के विरूद्ध है। इजरायल ने विश्व की शक्तियों से अनुरोध किया है कि वे ईरान पर और प्रतिबंध लगाएं। दूसरी ओर रूस ने ईरान की वकालत करते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान पर जो दबाव डाला जा रहा है उसके कारण ईरान के रवैये में परिवर्तन आया है। ज्ञातव्य है कि 2015 में ईरान और अमेरिका सहित विश्व के अन्य बड़े देशों के बीच जो परमाणु समझौता हुआ था उससे अमेरिका अलग हो गया और उसने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके कारण ईरान के तेल के आयात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।"

सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तानी हाजियों को विशेष सुविधा

हमारा समाज (15 जुलाई) के अनुसार "सऊदी सरकार ने पाकिस्तानी हज यात्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। अभी तक यह सुविधा पांच अन्य मुस्लिम देशों के हाजियों को प्राप्त थी। इस सुविधा के अनुसार अपने देश से रवाना होने और सऊदी अरब में प्रवेश से संबंधित सभी कार्रवाई हवाई अड्डे पर ही पूरी कर ली जाती है। पाकिस्तान सरकार ने हाजियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी रवानगी से छह घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंच जाएं ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। इस्लामाबाद से सऊदी एयरलाइंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एवं निजी कम्पनियों द्वारा पाकिस्तानी यात्रियों को सीधे मक्का व मदीना पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले सम्बन्धित विमान चालक कम्पनी से हज यात्री को बोर्डिंग पास जारी किए जाते हैं और उनके सामान को फौरन बुक किया जाता है।"

"इस प्रक्रिया के दौरान हज यात्रियों का वापसी टिकट भी फौरन कन्फर्म किया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान गृह मंत्रालय के कर्मचारी उनके पासपोर्ट की जांच करवाने के बाद उस पर अपनी मुहर लगवाते हैं। हर हाजी का चित्र लिया जाता है और उनके हाथ में जो सामान होता है उनकी भी जांच की जाती है। उन्हें खाने-पीने की वस्तु साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। उनके सामान में कोई छूरी-कांटा व चाकू आदि भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यात्रियों को सऊदी इमिग्रेशन के काउंटरों पर लाया जाता है। वहां पर सऊदी सरकार का स्टाफ उनकी जांच करता है। सऊदी सरकार ने इन हवाई अड्डों पर उर्दू जानने वाला स्टाफ नियुक्त किया है। सऊदी अरब में प्रवेश करने पर उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाती बल्कि उन्हें बसों में बैठाकर सीधे उन होटलों में भेजा जाता है जहां पर उनके लिए रूकने की व्यवस्था की गई हो। बसों में दाखिल होते ही खाद्य पदार्थ और आब-ए-जमजम की बोतलें उपलब्ध कराई जाती हैं। सऊदी अरब में कदम रखते ही उनसे उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं जो कि उन्हें वतन वापसी के समय लौटाए जाते हैं।"

हज के मौके पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर कड़ी कार्रवाई

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (11 जुलाई) के अनुसार "सऊदी अरब सरकार ने यह चेतावनी दी है कि हज के दौरान आने वाले हाजी स्वयं को धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित रखें और किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग न लें और न ही कोई राजनीतिक नारे आदि लगाएं वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के मंत्रीमंडल ने कहा है कि हाजियों का किसी राजनीतिक गतिविधि या धार्मिक फिरकाबंदी में भाग लेना गैर-इस्लामी है और किसी भी व्यक्ति ने हज के दौरान किसी ऐसी गतिविधियों में भाग लिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी पता चला है कि सरकार ने इस बात के भी कड़े निर्देश दिए हैं कि हज यात्रा के दौरान किसी भी व्यक्ति को सऊदी अरब में भीख मांगने की अनुमति नहीं होगी। जो व्यक्ति भीख मांगेगा उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इस तरह की शिकायत मिलती रही है कि हज के दौरान भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान आदि देशों से काफी संख्या में भिखारी हज यात्री के रूप में सऊदी अरब जाकर भीख मांगते हैं। इससे बदनामी होती है।"

होटल पर आत्मघाती हमला

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार "सोमालिया में एक होटल पर आतंकवादी संगठन अल शबाब द्वारा हमला किया गया जिसमें 26 व्यक्ति मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। यह हमला उस वक्त किया गया जब होटल में राजनीतिक पार्टियों का एक सम्मेलन हो रहा था। कड़ी सुरक्षा के बावजूद बारूद से भरी एक कार दरवाजे से टकराकर अंदर दाखिल हो गई। इसके बाद कार में सवार एक दर्जन से अधिक आतंकवादी जिहादियों ने अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। बाद में सेना ने जवाबी कार्रवाई करके इस होटल को आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त कराया। इस हमले में कम-से-कम 26 व्यक्ति मारे गए जिनमें दो पत्रकार भी शामिल हैं। सरकारी बयान के अनुसार आतंकवादी संगठन अल शबाब से संबंधित चार आक्रमणकारी भी सेना ने मार गिराए। मरने वालों में एक दर्जन विदेशी नागरिक बताए जाते हैं। ज्ञातव्य है कि अल शबाब का संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन अलकायदा से बताया जाता है। इससे पहले भी सोमालिया में यह संगठन कई बार हमले कर चुका है।"

लीबिया में तुर्की के खिलाफ अभियान

अखबार-ए-मशरिक (1 जुलाई) के अनुसार "लीबियाई सेना के प्रमुख ने यह घोषणा की है कि देश में रहनेवाले सभी तुर्क नागरिकों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी तुर्क जलयान लीबिया की सीमा में दाखिल होगा उसे तोपों का निशाना बनाया जाएगा। लीबिया के हवाई अड्डों पर तुर्की के विमानों के उतरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका कारण यह है कि लीबिया में विद्रोहियों को तुर्की अस्त्र-शस्त्र और आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। हाल ही में तुर्की ने इन विद्रोहियों को ड्रोन भी उपलब्ध कराए हैं। लीबियाई सरकार ने बनगाजी की नगरपालिका को यह निर्देश दिया है कि नगर के सभी चायखानों, कॉफी हाउसों और मिठाई की दुकानों से तुर्की भाषा में लिखे हुए बोर्ड हटा लिए जाएं। तुर्की सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि देश में तुर्क फास्ट फूड, खाद्य पदार्थ और मिठाई बेचने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त देश में तुर्की द्वारा उत्पादित सभी उत्पादनों को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। लीबियाई सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि देश के कुछ भागों में सशस्त्र विद्रोही सरकारी सेनाओं से लड़ रहे हैं। लीबियाई वायुसेना ने विद्रोहियों पर बमबारी भी की है। विद्रोहियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने दो लीबियाई वायुयानों को मार गिराया है।"

आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज

इंकलाब (3 जुलाई) के अनुसार "रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अदीब आजम खान, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमेन्द्र सिंह चौहान आदि 11 व्यक्तियों के खिलाफ भाजपा के नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर रामपुर के थाना सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाश सक्सेना ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि 29 जून की रात को खुशबू मैरिज हॉल में एक समारोह में पुरस्कार बांटते हुए आजम खान ने अपने प्रतिद्वंद्वी जया प्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी की। एक अन्य समाचार के अनुसार आजम खान के खिलाफ भाजपा और महिला संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर मांग की कि जिन लोगों ने महिलाओं का अपमान किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।"

इंकलाब (6 जुलाई) के अनुसार "समाजवादी

पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल रमित शर्मा से मुलाकात करके यह आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल के इशारे पर पुलिस जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमें में फंसा रही है। सरकार के इशारे पर रामपुर पुलिस ने पिछले तीन महीने में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर 25 मुकदमें दर्ज किए हैं। रामपुर पुलिस ने मोहम्मद आजम खान और मुरादाबादा के सांसद डॉ. एस.टी. हसन के खिलाफ दो केस दर्ज किए हैं। इसके अतिरिक्त अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के महानिदेशक ने प्रतिनिधमंडल को यह आश्वासन दिया कि वे इन सारे मामलों की जांच करवाएंगे ताकि कोई निर्दोष आदमी परेशान न हो।"

इंकलाब (14 जुलाई) के अनुसार "रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और आलिया गंज के किसानों के बीच संघर्ष हुआ मगर पुलिस की हस्तक्षेप के कारण इस घटना ने हिंसक रूप नहीं लिया। दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। जिला पंचायत के पूर्व चेयरमैन हाफिज अब्दुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अधिकारी आर हुसैन खान ने किसानों पर दबाव डालकर उनसे व्ययनामा पर हस्ताक्षर करवाए थे इसलिए सरकार को किसानों को उनकी जमीन वापस देनी चाहिए और अल हसन को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान कर रहे थे। उनका आरोप था कि ये किसान सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर प्रदर्शन करके समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं।"

हमारा समाज (13 जुलाई) के अनुसार "मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में सरकारी भूमि पर कब्जे का जो केस सांसद मोहम्मद आजम खान और पूर्व कार्यकारी अधिकारी अल हसन खान पर दर्ज हुआ था उस सिलसिले में पुलिस ने अल हसन के निवास स्थान पर छापा मारा और उनके बेटे वसीम हसन को पूछताछ के लिए पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अल हसन की पत्नी शबीना हसन ने कहा कि जब पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो उस समय उसके पति घर पर नहीं थे। दूसरी ओर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में कई किसानों ने पुलिस में रपट दर्ज कराई थी। उनका दावा है कि यह जमीन किसानों की है जिस पर जौहर विश्वविद्यालय ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। यह छापा इसी संदर्भ में मारा गया है।"

इंकलाब (12 जुलाई) के अनुसार "मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा रामपुर पब्लिक स्कूल के भवन के निर्माण को अवैध करार देते हुए उसे गैर-कानूनी करार दिया है और प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि जिस भूमि पर इस स्कूल के भवन का निर्माण किया जा रहा है वह यतीमखाना का है और यह तीन मंजिला इमारत रामपुर विकास प्राधिकरण से कोई मंजूरी लिए बिना ही बनाई जा रही है इसलिए इसे एक सप्ताह के अंदर गिरा दिया जाए वरना सरकार इसे स्वयं गिराएगी। मोहल्ला सराय गेट पर स्थित यतीमखाने की इस भूमि को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजम खान के ट्रस्ट को लीज पर दिया था। प्रशासन का कहना है कि इस भवन को 2016 में अवैध करार दिया गया था और इस संदर्भ में थाने में एक रपट भी दर्ज कराई गई थी। इस सरकारी फैसले के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घटना स्थल पर धरना दे दिया है और उन्होंने घोषणा की है कि वे इस भवन के बाहर धरना देते रहेंगे ताकि सरकार इसे गिरा न सके। समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह नोटिस राजनीतिक द्वेष के कारण दिया गया है।"

इंकलाब (11 जुलाई) के अनुसार "शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी की ओर से एक प्रदर्शन का आयोजन करके सरकार से मांग की गई है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो झूठे मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं वह वापस लिए जाएं। पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने यह घोषणा की है कि अगर ये मुकदमें वापस न लिए गए तो वे राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे और हर जिले में धरना देंगे।" ■

मुस्लिम छात्रों को इस्लाम सिखाने का अभियान

हमारा समाज (13 जुलाई) के अनुसार "मुसलमानों के प्रमुख संगठन जमीयत-ए-उलेमा हिन्द ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर गहरी चिंता प्रकट की है कि मुसलमानों की नई पीढ़ी इस्लाम से दूर होती जा रही है इसलिए छात्रों को इस्लाम से नजदीक लाने और उन्हें मजहब के बारे में जानकारी देने का देशव्यापी अभियान छेड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत देश के प्रत्येक राज्य में दीनी बोर्डों का गठन किया जाएगा जिनकी ओर से सारे जिलों में संयोजक नियुक्त किए जाएंगे और हर राज्य में दीनी तालिमी कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। बैठक में इस बात पर चिंता प्रकट की गई कि मुसलमानों की नई पीढ़ी और विशेष रूप से छात्र एवं छात्राएं इस्लाम धर्म से विमुक्त हो रहे हैं इसलिए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत इस्लाम के प्रचार व प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जमीयत-ए-उलेमा कार्यकारिणी की यह बैठक दिल्ली में हुई जिसकी अध्यक्षता दारूल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अबुल कासिम नुमानी ने की। इसमें जमीयत के अध्यक्ष मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान मंसूर पुरी, महामंत्री सैयद महमूद मदनी और दीनी शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारी शामिल हुए।"

सऊदी अरब में नौकरी दिलाने की आड़ में युवकों से ठगी

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (11 जुलाई) के अनुसार "सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर एक फर्जी कम्पनी ने सैकड़ों नौजवानों को चूना लगाया। बताया जाता है कि 31 नौजवानों से लाखों रुपए कमीशन के रूप में वसूले गए थे और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें दस जुलाई को सऊदी अरब भेज दिया जाएगा। मगर जब ये युवक सेक्टर 3 स्थित एक एजेंसी के दफ्तर पर पहुंचे तो उसपर ताला लगा हुआ था। इस पर इन युवकों ने थाने में रपट दर्ज कराई। बताया जाता है कि हज के दौरान कई एजेंसियां नौजवानों को हाजियों की सेवा के नाम पर सऊदी अरब भेजती हैं। इस प्लेसमेंट एजेंसी ने इंटरनेट पर यह घोषणा की थी कि वह युवकों को सऊदी अरब रोजगार के लिए भेजने वाली है। जब मुजफ्फरनगर के रहने वाले सादाब नामक व्यक्ति ने इंटरनेट पर अपना बायोडाटा अपलोड किया तो अदनान नामक व्यक्ति ने उससे सम्पर्क करके उसे बताया कि वह युवकों को सऊदी अरब भेज रहे हैं और हर व्यक्ति को तीस हजार रुपये कमीशन देनी होगी तथा सऊदी अरब में युवकों को 7500

रियाल का वेतन प्राप्त होगा। काफी युवकों ने कमीशन का भुगतान कर दिया और अपने दस्तावेज जमा करा दिए। जब ये युवक वहां पर गए तो कम्पनी का दरवाजा बंद था।"

"एक अन्य समाचार के अनुसार नोएडा की ही एक अन्य एजेंसी ने कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 अन्य लोगों से लाखों रुपए बटोर लिए। इस प्लेसमेंट एजेंसी ने भी समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया था। इस एजेंसी ने भी प्रत्येक व्यक्ति 25-25 हजार की कमीशन बटोरी थी। पुलिस इस गिरोह की तलाश कर रही है।"

ईरानी विदेश मंत्री पर अमेरिका का प्रतिबंध

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (17 जुलाई) के अनुसार "अमेरिकी सरकार ने घोषणा की है कि उसने ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ को संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव पर वीजा जारी कर दिया है, मगर उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ईरानी विदेश मंत्री केवल ईरान के दूतावास और संयुक्त राष्ट्र संघ के भवन में ही आ जा सकेंगे। उन्हें न्यूयॉर्क या किसी भी अमेरिकी नगर में घुमने फिरने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया क्योंकि ईरान सरकार ने तेहरान स्थित अमेरिकी राजदूत की **गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका इससे पूर्व जवाद जरीफ की संपत्तियों पर प्रतिबंध लगा चुका है।** हालांकि जवाद जरीफ ने यह घोषणा की है कि अमेरिका में उनकी कोई संपत्ति नहीं है।"

पाकिस्तान में महंगाई में वृद्धि

हमारा समाज (17 जुलाई) के अनुसार "स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में यह **स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में आर्थिक** स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है। घाटा और महंगाई दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। गन्ने की पैदावार में 19 प्रतिशत और कपास के पैदावार में 18 प्रतिशत की कमी हुई है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विदेशी पूंजी निवेश में भी 50 प्रतिशत की गिरावट आई है। चालू वर्ष में एक अरब 73 करोड़ 70 लाख डॉलर का विदेशी पूंजी निवेश हुआ जबकि गत वर्ष इस अवधि में तीन अरब 47 करोड़ दस लाख डॉलर का पूंजी निवेश हुआ था। आर्थिक बदहाली को देखते हुए पाकिस्तानी बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले ब्याज की दर में कटौती करें। पाकिस्तान में महंगाई की दर छह प्रतिशत से बढ़कर साढ़े आठ प्रतिशत तक पहुंच गई है।"

विश्लेषण हेतु उर्दू समाचार-पत्रों की सूची

1. दावत, दिल्ली
2. दैनिक इंकलाब, दिल्ली
3. अखबार-ए-मशरिक, दिल्ली
4. दैनिक सहाफत, दिल्ली
5. रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली
6. हिंदुस्तान एक्सप्रेस, दिल्ली
7. हिंद समाचार, जालंधर
8. दैनिक प्रताप, जालंधर
9. दैनिक मुंसिफ, हैदराबाद
10. दैनिक सियासत, हैदराबाद
11. दैनिक हमारा समाज, दिल्ली
12. आल्मी सहारा, दिल्ली
13. औरंगाबाद टाइम्स, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
14. जदीद मरकज़, लखनऊ
15. साप्ताहिक नई दुनिया, दिल्ली
16. दैनिक इत्तेमाद, हैदराबाद
17. जदीद मेल, दिल्ली
18. सियासी तकदीर, दिल्ली
19. उर्दू, एक्शन, भोपाल
20. साप्ताहिक चौथी दुनिया, दिल्ली
21. साप्ताहिक अखबार नव, दिल्ली
22. दैनिक मिलाप, दिल्ली
23. कौमी तंजीम, पटना
24. दैनिक जदीद ख़बर, दिल्ली

आप अपनी राय, जानकारियां, उर्दू पत्रों से समाचार प्रतिष्ठान को भेजें। संपादक मंडल उसे अगले अंकों में संपादकीय नीति के तहत स्थान देने का प्रयास करेगा।

RNI No. DELHIN/2017/72722

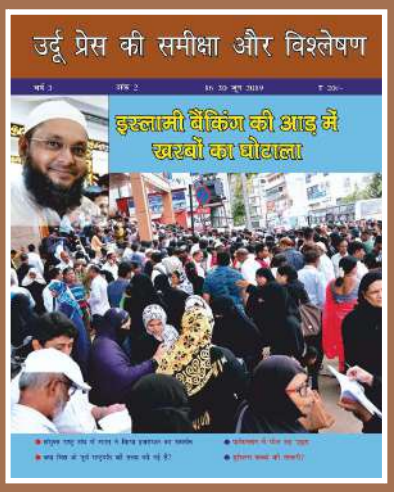

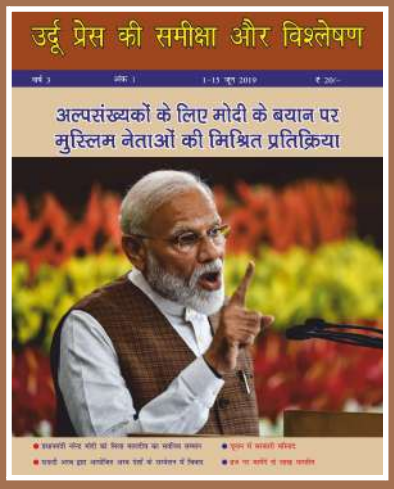

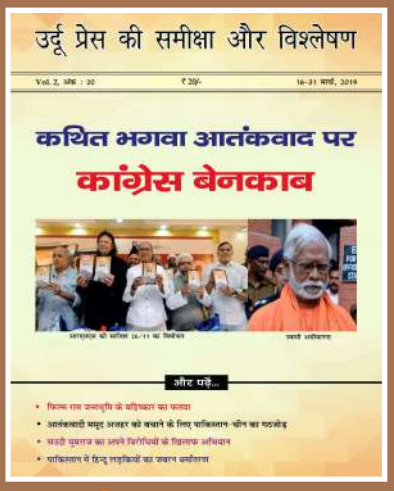

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018 • फैक्स : 011–46089365
ईमेलः indiapolicy@gmail.com, वेबसाइटः www.indiapolicyfoundation.org